कार्यालय आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान – जयपुर

क्रमांकः–एफ 1/व्य.एवं.प./पीएफ/ 165 से 215 दिनांकः– 2.6.2010

परिपत्र

राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश सं0 प 4 (6) वित्त/राजस्व/03/रूल्स दिनांक 23.12.09 के द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 1(8) कार्मिक 2/प 2/88 दिनांक 21.12.09 के अनुसरण में विभाग में पदस्थापित अति0 निदेशकों का पदनाम बदलकर संयुक्त निदेशक कर दिया गया था।

राज्य बीमा नियम1998 के नियम 22 के उपनियम 2(ii) के अंतर्गत अति0 निदेशकों को दावे के विलम्ब से भुगतान की स्थिति में ब्याज देने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। इसी तरह प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 26(ii) में भुगतान तिथि तक का ब्याज दो वर्ष से अधिक की अवधि होने की स्थिति में अति0 निदेशक को अधिकृत किया गया है।

कार्मिक एवं वित्त विभाग की उपरोक्त अधिसूचना पश्चात् अतिरिक्त निदेशकों की समस्त शक्तियां संयुक्त निदेशकों में निहित हो जाती हैं। विभाग द्वारा नियमों में समुचित के संशोधन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे गये हैं। दावों के निस्तारण की महत्वत्ता को देखते हुये वित्त विभाग से आवश्यक आदेश प्राप्त होने तक समस्त संभागीय संयुक्त निदेशकों को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत ब्याज देने हेतु अधिकृत किया जाता है। वित्त विभाग से आवश्यक आदेश प्राप्त होने पर विभागीय निर्देश पुनः प्रसारित किये जायेंगें।

आयुक्त

क्रमांकः–एफ 1/व्य.एवं.प./पीएफ/ 165 से 215 दिनांकः– 2.6.2010

प्रतिलिपिः–

1. विशेष शासन सचिव वित्त व्यय को प्रेषित कर निवेदन है कि इस विभाग द्वारा भिजवाये गये संशोधन प्रस्ताव एफ 18 बीमा/व्य. एवं प./94–95/954 दि0 11.2.10 एवं एफ.1/व्य.एवं प./पीएफ/2254 दिनांक 10.2.2010 पर शीघ्र निर्णय लेकर सूचित करने का श्रम करें।
2. समस्त अधिकारी मुख्यालय––
3. संयुक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, संभागीय कार्यालय
4. उप/सहायक निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, जिला कार्यालय
5. कम्प्यूटर कक्ष
6. निजी सहायक आयुक्त महोदय।
7. रक्षित पत्रावली।

2.6.10

अतिरिक्त निदेशक
(बीमा,पीएफ)